

वन विभाग

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 1981

80-दस (2) - वन्य जमीन अधिनियम 1972 (क्रमांक 53 संव 1972) की धारा 18(1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत राज्यन नीचे परिशिष्ट में दर्शाये गये क्षेत्र अधियाल मगर एवं अन्य जल स्रोतों के पर्यावरण एवं प्राणास के विकास के लिये महत्वपूर्ण

इस क्षेत्र को सोन अधियाल मगर अभ्यारण्य घोषित करता है :-

परिशिष्ट

जिला	सीधी, शहडोल, सतना.
वनमण्डल	सीधी, उत्तर शहडोल एवं सीधी.
नद्रीक्षेत्र	देवसर, गोपदबनास, म्पीहारी तथा अमरपाटन.
अभ्यारण्य का नाम	सोन अधियाल मगर अभ्यारण्य.
सोन नदी की लंबाई	160.93 कि.मी.
गोपद नदी की लंबाई	25.75 कि.मी.
बनास नदी की लंबाई	22.53 कि.मी.

क्षेत्र का विवरण

जिला का नाम	नदी का नाम	नदी की लंबाई किलो मीटर	कहाँ से कहाँ तक	नदी के दोनों किनारे के 200 मीटर चौड़ी पट्टी की लंबाई के साथ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सीधी	सोन नदी	138.40	उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले की सीमा से देवलोन्य (बाण सागर) बांध तक.	276.80 कि.मी.
सीधी-शहडोल	सोन नदी	9.66		19.32 कि.मी.
शहडोल-सतना	सोन नदी	12.87		25.74 कि.मी.
सीधी	गोपद नदी	25.75	सोन नदी के संगम से उपस्ट्रीम गोपद नदी पर सीधी बाँधन पी. डब्ल्यू. डी. सड़क के पुल तक.	51.50 कि.मी.
सीधी-शहडोल	बनास नदी	22.53	सोन नदी के संगम से उपस्ट्रीम बनास नदी पर सीधी-शहडोल पी. डब्ल्यू. डी. सड़क के पुल तक.	45.06 कि.मी.
	सोन नदी	160.93	किनारे की दोनों पट्टी की लंबाई	321.86 कि.मी.
	गोपद नदी	25.75	किनारे की दोनों पट्टी की लंबाई	51.50 कि.मी.
	बनास नदी	22.53	किनारे की दोनों पट्टी की लंबाई	45.06 कि.मी.
सोन अधियाल मगर अभ्यारण्य की कुल लंबाई		209.21	कि.मी.	418.42 कि.मी.

टीप - (1) अभ्यारण्य की सीमा में नदी की चौड़ाई शामिल है जिसे अलग से दर्शाया नहीं गया है.

(2) इसमें बगदरा अभ्यारण्य का सोन नदी किनारे का भाग भी शामिल है जिसे पूर्व में अभ्यारण्य घोषित किया जा चुका है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
एच.जे. भोकर, उपसचिव

60%

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 1981

क्र. 14-47-80-दस (2) -- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की प्रवृत्तता क्र. 14-47-80-दस (2), दिनांक, 23 सितम्बर 1981 का संघीय अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा प्रादेशनुसार
एम. जे. ओक, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd September 1981

No. 14-47-80-X-(2) -- WHEREAS the State Government considers that the area specified in the schedule below is of adequate significance for the purpose of protecting propagating Gharial Crocodiles and other river fauna and developing its habitat and environment.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 18 (1) of the wild life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972) the State Government hereby declares the said area to be a Son Gharial Crocodile-Sanctuary:--

SCHEDULE

District	Sidhi, Shahdol and Satna.
Forest Division	Sidhi, North Shahdol and Rowa.
Tehsil	Deosar, Gopad Banas, Behari and Amarpatan.
Name of the Sanctuary	Son Gharial Crocodile Sanctuary.
Length of Son River	160.93 K. M.
Length of Gopad River	25.75 K. M.
Length of Banas River	22.53 K. M.

DESCRIPTION OF THE AREA

Name of the District	Name of the river	Length of the river K.M.	From and upto what place	Length of 200 metres wide strip along both sides of river bank in (K.M.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sidhi	Son river	138.40	From border of Mirzapur district of UP upto Deolone (Bonsagrden).	276.80
Sidhi-Shahdol	Son river	9.66		19.32
Shahdol-Satna	Son river	12.87		25.74
Sidhi	Gopad River	25.75	From the confluence of Son and Gopad upto Road bridge on Rewa-Baitan P. W. D. road on Gopad upstream.	51.50
Sidhi-Shahdol	Banas River	22.53	From the confluence Son and Banas up to road bridge on Sidhi-Shahdol P.W.D. road on Banas upstream.	45.06
Total :				
	Son river	160.93	Strip length of both banks	321.86
	Gopad river	25.75	Do.	51.50
	Banas river	22.53	Do.	45.06
Total--length of Son, Gharial Crocodile Sanctuary.		209.21		418.42 metres 200

Note.-(1) Width of the river is included in the Sanctuary area which has not been shown separately.
(2) Portion of Son river which makes the Southern boundary of Bagdara Sanctuary which is already a sanctuary is also included in this Sanctuary as overlap area.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M: J. OKA, Dy. Secy.